राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 1171/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
योगेन्द्र कुमार पांडे जय नारायण व्यास कॉलोनी] बीकानेर , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं कुल सचिव सुरेश ज्ञान विहार विश्वविधालय, जगतपुरा, जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 28-03-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री यू. के. औझा, उप पंजियक व श्री महेन्द्र कुमार शर्मा, सहायक उप पंजियक उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 24-06-2017 के द्वारा रिसीराज गोस्वामी, एम.टेक के ओबीसी प्रमाण पत्र तहसील जयपुर द्वारा खारिज करने उपरान्त प्रकरण में की गई कार्यवाही की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने बताया कि अपीलार्थी के आवेदन प्राप्त होने पर इससे संबंधित पत्रावली को तलाश करने में समय लगा। सूचना संकलित हो जाने के बाद कार्यालय से पत्र दिनांक 23-2-2018 से अपीलार्थी को वस्तुस्थिति से सूचित किया गया कि प्रकरण में संबंधित श्री रिसीराज गोस्वामी को पत्र दिनांक 17-03-2017 से अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया तो श्री गोस्वामी ने बताया कि इस विषय पर उच्च न्यायालय, राजस्थान जयपुर में सिविल रिट विचाराधीन है और माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश जारी किया हुआ है तथा न्यायालय के आदेश की प्रति प्रस्तुत की है।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 06-03-2018 प्रस्तुत किया है जिसके साथ पत्र दिनांक 23-02-2018, 27-03-2017, उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 31-05-2017 की प्रति संलग्न की गई है।

7. अपीलार्थी द्वारा कोई अन्यथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की गई है। सूचनाय प्रदत्त होने के कारण अपील का निस्तारित किया जाना समीचीन है। साथ ही प्रत्यर्थी को

सावचेत किया जाता है कि तृतीय पक्षकार की निजी सूचना दिये जाने से पूर्व सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 11 की कार्यवाही आवश्यक रूप से की जावे।

8. अस्तु, वर्तमान अपील उपरोक्तानुसार निस्तारित की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त